ब देनदारियों सहित इसके प्रबंधन के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। बी. आई. एफ. आर. के तारीख 24-6-1992 के संशोधित आदेश के अनुसार, बी०आई०एफ०आर० द्वारा योजना मंजूर किए जाने पर मै० गानन डकरली एण्ड कं० लि० को तत्काल 303.5 करोड़ रु० लगाने होंगे। परियोजना पर कार्य आरंभ करने के लिए अभी तक कोई कठिनाई सामने नहीं आई है।

(ग) जी. नहीं। तथापि, योजना में यह भी परिकल्पना की गयी है कि श्रमिक तीन समान किश्तों में आस्थगित आधार पर देय 300 लाख रु० के बकाया मजदूरी/वेतन/बोनस के समझौते को स्वीकार करेंगे और श्रमिक उच्च उत्पादकता मानदण्डों से कार्यान्वित किए जाने वाले श्रमिक औचित्य स्थापन कार्यक्रम के लिए भी सहमत होंगे।

Production in Cycle Corporation of India

2347. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the production in the Cycle Corporation of India has come down and if so, what are the details thereof; and

(b) whether the employees have given any plan for the revival of this unit and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRIES AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. The details of production of CCIL during the last four years is given below:—

Year	No. of Bicycles
1988-89	85867
1989-90	78214
1990-91	65180
1991-92 (Prov.)	67950

(b) No, Sir. However, the Trade Unions of CCIL have been giving various suggestions for improving the performance of the company such as working capital assistance, worker's participation in management, modernisation of plant, etc.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महिला कर्मचारियों का स्थानांतरण

2348. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में महिला कर्मचारियों को यह वचन-पत्र देना जरूरी होता है कि वे अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करते समय अपनी वरिष्ठता का दावा नहीं करेंगी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे सभी उपक्रमों को भविष्य में इस तरह के वचन-पत्र न लेने हेतु अनुदेश जारी करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उन सभी महिलाओं की सेवा में आए व्यवधान को माफ करने का अनुदेश भी देगी, जिनकी वरिष्ठता ऐसे वचन-पत्र के परिणामस्वरूप पहले से प्रभावित हो चुकी है;

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) :(क) और (ख)

सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर स्थानांतरण के लिये आवेदन पत्र देने वाले अपने कर्मचारियों की वरिष्ठता के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किये हैं । उद्यमों के प्रबंधकों के पास अपनी आवश्यकता तथा कार्यचालन की परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा वरिष्ठता से संबंधित नीतियां बनाने के लिए पूरी शक्तियां हैं । यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्हें पूरी स्वायत्तता प्राप्त है और वे ऐसी नीतियां निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र हैं जो उनके प्रचालनों तथा कुशल संचालन के लिये बेहतर समझी गई हों । इस प्रकार प्रत्येक उद्यम, जिनकी संख्या 246 है, द्वारा स्थानांतरण तथा वरिष्ठता के लिये निर्धारित नीतियों के ब्यौरों का सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर परिवीक्षण अथवा अनुरक्षण नहीं किया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी नीतियों के बारे में निर्णय करने में सक्षम है तथा सरकार इस संबंध में कोई प्रतिबंध लगाना नहीं चाहेगी ।

(च) जी, नहीं ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ज) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों की वरिष्ठता से संबंधित सभी मामलों को निपटाने तथा प्रत्येक मामले में निर्णय करने की पूरी शक्तियां प्राप्त हैं ।

Commissioning of Dibrugarh Doordarshan Kendra of Upper Assam

2349. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the reason for delaying the commissioning of Dibrugarh Doordarshan Kendra of Upper Assam; and

(b) when is it likely to be commissioned?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) and (b) Dibrugarh Doordarshan Kendra will be commissioned after the process of deployment of staff is completed.

Financing of theatres in A.P.

2350. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of the theatres in Andhra Pradesh financed under the Financing Scheme by N.F.D.C.; and

(b) the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) Under its scheme of Theatre Financing, so far National Film Development Corporation has effectively sanctioned loan to 15 theatres.

(b) Out of the sanctioned amount of Rs. 87.82 lakhs, the actual amount disbursed is Rs. 70.45 lakhs. 13 out of 15 theatres have been completed, resulting in additional capacity of 9540 seats.

Production centre of Films Division at Hyderabad

2351. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up production centre of Films Division at Hyderabad;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA